छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र

मंगलवार, दिनांक 3 फरवरी, 2009

तारांकित प्रश्नोत्तर

कबीरधाम जिले में धमकी भरे फोन काल्स के दर्ज प्रकरण

1. (*क्र. 136) **मोहम्मद अकबर :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले के थाना पंडरिया, पांडातराई, कुकदुर एवं कुंडा में 20 दिसंबर, 2008 से 31 दिसंबर, 2008 तक धमकी भरे फोन काल्स से संबंधित कितने प्रकरण कहां-कहां के, किनके-किनके विरुद्ध, कब-कब, किन-किन धारा में दर्ज किए गए हैं ? (ख) उक्त प्रकरणों में अलग-अलग 12-1-09 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) कबीरधाम जिले के थाना-पण्डरिया, पाण्डातराई, कुकदूर एवं कुण्डा में 20 दिसम्बर 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक धमकी भरे फोन कॉल्स से संबंधित कोई भी अपराध प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिले में भारतीय जीवन बीमा निगम में डकैती की जानकारी

2. (*क्र. 139) **श्री नन्दकुमार पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 (12-1-2009 तक) में रायगढ़ जिले में लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटना के कितने प्रकरण थाने में दर्ज किये गये ? थानावार जानकारी देवें. (ख) रायगढ़ स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम में वर्ष 2008 में दिन-दहाड़े हुई डकैती की घटना में कितने डकैत गिरफ्तार किये गये और कितने शेष हैं ? गिरफ्तार डकैतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2008-09 (12-1-2009 तक) रायगढ़ जिले में लूट-27, डकैती-02, हत्या-95 एवं बलात्कार-27 प्रकरण दर्ज किये गये. थानावार जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. (ख) रायगढ़ स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम में वर्ष 2008 में दिन-दहाड़े हुई डकैती की घटना में एक भी डकैत गिरफ्तार नहीं किये गये हैं. एक डकैत अजय यादव मुठभेड़ में मारा गया है. दो डकैत पवन साय एवं पेटला उर्फ सोनू उरांव निवासी सिंधीपारा थाना राजगांगपुर उड़ीसा घटना के बाद से फरार हैं, दोनों की गिरफ्तारी शेष है. एक भी डकैत गिरफ्तार नहीं है, इसलिए कार्यवाही निरंक है, परन्तु फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही कार्यवाही का विवरण प्रपत्र "ब" में † संलग्न है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या

3. (*क्र. 21) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां 100 बिस्तर अस्पताल, 30 बिस्तर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं ? (ख) क्या इन सभी स्थानों पर भवन निर्माण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या इन सभी स्थानों पर स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत निम्नानुसार चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

---

† परिशिष्ट "एक"

एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं :—

1.	100 बिस्तर अस्पताल	बेमेतरा
2.	30 बिस्तर अस्पताल	निरंक
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बेरला
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	देवरबीजा, कुसमी, टेमरी, सरदा, आनंदगांव, दारगांव, गुधेली

(ख) जी नहीं. कुल 09 में से 04 बेमेतरा, बेरला, दारगांव, गुधेली में भवन है. 01 टेमरी का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है, आधिपत्य लेना शेष है. 02 देवरबीजा, कुसमी की स्वीकृति जारी की जा चुकी है. 02 सरदा, आनंदगांव में भवन निर्माण स्वीकृति होना शेष है. अत: भवन निर्माण नहीं हुआ. (ग) जी नहीं. विभिन्न श्रेणियों के 76 पद रिक्त हैं. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति

4. (*क्र. 113) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? ग्रामवार पृथक-पृथक बतावें ? (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी सेवारत हैं ? पृथक-पृथक बतावें ? (ग) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिकारी-कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

प्रदेश की जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता

5. (*क्र. 150) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्थित केन्द्रीय जेलों, जिला जेलों में कैदियों को रखने की निर्धारित क्षमता कितनी है एवं वर्तमान में इन जेलों में कितने कैदी रखे गये हैं ? जिलावार, जेलवार, निर्धारित क्षमता एवं वर्तमान में रखे गये कैदियों की संख्या सहित विवरण दें ? (ख) क्या उक्त जेलों में क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2006-2007, 2007-2008 एवं वर्ष 2008-2009 में कोई नया निर्माण (जेल बैरकों) किया गया है ? यदि हां, तो जेलवार, वर्षवार, निर्माण कार्यों का विवरण देकर यह बतायें कि कितनी क्षमता बढ़ाई गई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में स्थित केन्द्रीय जेलों, जिला जेलों में कैदियों को रखने की कुल क्षमता 4639 है एवं वर्तमान में इन जेलों में दिनांक 19-01-2009 की स्थिति में कुल 10058 बंदी परिरूद्ध हैं. उक्त जेलों का जिलावार, जेलवार, निर्धारित क्षमता एवं वर्तमान में दिनांक 19-01-2009 की स्थिति में परिरूद्ध बंदियों की संख्या का विवरण प्रपत्र "अ" †† संलग्न है. (ख) जी हां, उक्त जेलों में से केन्द्रीय जेल जगदलपुर, केन्द्रीय जेल बिलासपुर एवं केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में वर्ष 2006-2007 में नये जेल बैरकों का निर्माण किया गया है. जेलवार, वर्षवार निर्माण कार्यों का विवरण प्रपत्र "ब" †† संलग्न है. उक्त जेलों में नये जेल बैरकों के निर्माण होने से बंदी रखने की क्षमता में 1400 की वृद्धि हुई है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पोषण आहार वितरण में शिकायत पर कार्यवाही

6. (*क्र. 154) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में (दिनांक 12-01-2009 तक) कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड कसडोल, विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन एवं विकासखण्ड पलारी में पोषण आहार मद में कितनी राशि व्यय की गई है ? ब्लॉकवार जानकारी देवें ? (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में विकासखण्ड पलारी में ग्राम पंचायत रौंसा व ग्राम पंचायत सकरी में आंगनबाड़ी सहायिका व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा पोषण आहार वितरण नहीं किए जाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा ?

---

† परिशिष्ट "दो" †† परिशिष्ट "तीन"

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में 12-01-2009 तक पोषण आहार मद में विकासखण्डवार व्यय की गई राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) जी हां. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पलारी के पत्र दिनांक 22-10-2007 के माध्यम से सरपंच ग्राम पंचायत खैरा एवं ग्रामवासियों द्वारा तथा माननीय विधायक श्री राजकमल सिंघानिया के पत्र दिनांक 11-6-2008 एवं दिनांक 22-7-2008 के द्वारा शिकायतें की गई हैं.

आदिवासियों की जमीन की बिक्री हेतु निर्धारित मापदण्ड

7. (*क्र. 75) **श्री अग्नि चंद्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासियों की जमीन बिक्री की अनुमति के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं ? अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी कौन हैं ? (ख) 1 जनवरी, 2004 से 1 जनवरी, 2009 तक महासमुन्द जिले में कितने आदिवासियों की जमीन की बिक्री के लिए अनुमति दी गयी ? कृपया नाम एवं अनुमति दिनांक का विवरण दें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) आदिवासियों की जमीन बिक्री की अनुमति छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के तहत दिये जाने का प्रावधान है. अनुमति देने के पूर्व निम्न बिन्दुओं का परीक्षण उपरांत अनुमति दिए जाने का मापदंड निर्धारित है :—

1. क्या वह व्यक्ति जिसे भूमि अंतरित की जा रही है, अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है या नहीं ?
2. वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि अंतरण के पश्चात् उपयोग में लाई जायेगी या जिसके लिए उसका उपयोग में लाया जाना संभव है.
3. क्या अंतरण से अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति होती है या ऐसे हितों का पूर्ति होना संभव है अथवा क्या वह ऐसे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ?
4. क्या दिया गया प्रतिफल पर्याप्त है ?
5. क्या ऐसा संव्यवहार, मिथ्या, बनावटी या बेनामी है ?
6. ऐसी अन्य बातें जो विहित की जाए
   धारा 165 (6) (दो) अनुसार अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर है. अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी का प्रावधान संहिता की धारा 165 (6) (एक), (दो) में उल्लेखित है. †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार.

(ख) सन् 1 जनवरी 2004 से सन् 1 जनवरी 2009 तक महासमुंद जिले में कुल 82 आदिवासियों की जमीन की बिक्री के लिए अनुमति दी गई. नाम एवं अनुमति दिनांक का विवरण †† संलग्न प्रपत्र "ब" में है.

विधान सभा क्षेत्र सरायपाली अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन एवं स्टॉफ की जानकारी

8. (*क्र. 81) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01 जनवरी, 2009 की स्थिति में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में से भवन विहीन केन्द्रों की संख्या कितनी हैं ? स्थान के नाम सहित बतायें ? (ग) सराय पाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 जनवरी, 2009 की स्थिति में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद कितने हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 60 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं. (ख) भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 50 है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर प्रदर्शित है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर प्रदर्शित है.

मेडिकल उपकरणों की खरीदी में दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही

9. (*क्र. 68) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 में प्रदेश स्तर में किन-किन फर्मों से मेडिकल उपकरण आई. सी. सी. यू. मल्टी पैरा मॉनिटर सेन्ट्रल स्टेशन मशीन, कलर डॉपलर, ई. ई. जी. मशीन, ओ. टी. लाईट,

---

† परिशिष्ट "चार"

†† परिशिष्ट "पांच"

कार्डियोस्कोप, विथडिफिव, सीरिंज एवं निडिल डिस्ट्रायर मशीन कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर खरीदी गये ? रोके गये भुगतान की अद्यतन स्थिति क्या है ? दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी कौन हैं ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश स्तर में वर्ष 2007 (1 जनवरी 2007 से 31 दिसम्बर 2007 तक) में आई. सी. सी. यू. मल्टी पैरा मॉनिटर सेन्ट्रल स्टेशन मशीन, कलर डॉपलर, ई. ई. जी. मशीन, ओ. टी. लाईट, कार्डियोस्कोप, विथडिफिव, सीरिंज एवं निडिल डिस्ट्रायर मशीन क्रय नहीं किये गये हैं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. कोई नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

खरीफ फसल के आनावारी निर्धारण के मापदंड एवं रायपुर, दुर्ग जिले के सूखाग्रस्त ग्रामों की जानकारी

10. (*क्र. 24) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ 2008 की वास्तविक आनावारी के निर्धारण के लिए कौन-कौन से मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? (ख) कंडिका "क" के परिप्रेक्ष्य में रायपुर, दुर्ग जिले की किन-किन तहसीलों के किन-किन गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) खरीफ फसल 2008 की वास्तविक आनावारी का निर्धारण राजस्व ग्रामों में प्रत्येक पटवारी द्वारा अपने हल्के के सभी ग्रामों के खरीफ फसलों पर 6-6 समान फसल प्रयोग किया जाएगा. दो प्रयोग उत्तम, दो प्रयोग मध्यम एवं दो प्रयोग निम्न स्तर के खरीफ फसलों पर किया जावेगा. सामान्य फसल कटाई प्रयोग 5×5 मीटर = 25 वर्ग मीटर में किया जावेगा तथा प्रति हे. कुल पैदावार निकालने के लिए उसमें 400 का गुणा करना होगा. इस प्रकार आनावारी परिणाम निम्नांकित सूत्र के आधार पर किया जाता है.

$$\text{आनावारी} = \frac{\text{फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त प्रति हे. उपज} \times 83}{\text{प्रमाणिक पैदावार}}$$

पंचवर्षीय प्रमाणिक पैदावार की पुस्तिका वर्ष 1996-97 से खरीफ फसल की प्रमाणित पैदावार ली जावेगी. उपर्युक्त मापदण्ड से खरीफ फसल की वास्तविक आनावारी ज्ञात होगी. फसल प्रयोग संपन्न करने के बाद, पैदावार, फसल प्रयोग पंजी में अंकित की जावेगी. वन ग्रामों में आनावारी निकालने के संबंध में निम्न मापदण्ड अपनाये जाते हैं :—

1. अच्छी फसल के निश्चित रकबे से मात्रा ज्ञात करना (37 से 49 पैसा)
2. मध्यम फसल के निश्चित रकबे से मात्रा ज्ञात करना (25 से 36 पैसा)
3. कम फसलों के निश्चित रकबे से मात्रा ज्ञात करना (0 से 24 पैसा)

तीनों फसलों का औसत निकाल कर आनावारी रिपोर्ट ज्ञात की जाती है.

(ख) 1. राज्य शासन के निर्णय अनुसार जिले की वह तहसील जिनके कुल ग्रामों में से 25% ग्रामों का आनावारी 37 पैसा अथवा उससे कम रही है, सूखा प्रभावी श्रेणी में आती है. इस प्रकार इस मापदंड के आधार पर तहसील विशेष को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है. न कि ग्रामों को.

2. शासनादेश यह भी कि 20 या इससे अधिक ग्रामों के समूह में यदि आनावारी 37 पैसे से कम हो और इस प्रकार के ग्राम एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र बनते हों तो ऐसे कृषि क्षेत्रों को सूखा प्रभावित माना जा सकेगा.

3. उक्त आधार पर रायपुर जिला के सिमगा एवं कसडोल तहसील (दो तहसील) तथा दुर्ग जिला के साजा, बेमेतरा, नवागढ़, बेरला, बालोद, पाटन, धमधा तहसील (सात तहसील) इस प्रकार † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार कुल 9 तहसील एवं † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार लोहारा तहसील के 33 ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

11. (*क्र. 137) **मोहम्मद अकबर :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भुईयां कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किन-किन जिलों में शतप्रतिशत पूरा कर लिया गया है ? कम्प्यूटरीकृत ऋण पुस्तिका किन-किन जिलों में

† परिशिष्ट "छ:"

कितनी-कितनी प्रदान कर दी गयी है ? (ख) क्या रायपुर एवं दुर्ग तहसील के सभी पटवारी हल्कों का नक्शा, खसरा बी-1 की प्रतिलिपि शतप्रतिशत कम्प्यूटर के माध्यम से दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) भुईयां कार्यक्रम के अंतर्गत दन्तेवाड़ा जिला के छ: ग्रामों को छोड़कर शेष पूरे जिले में तथा राज्य के अन्य सभी जिलों के राजस्व ग्रामों के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है. कम्प्यूटरीकृत ऋण पुस्तिका कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदाय नहीं की जा रही है. (ख) रायपुर तहसील के सभी पटवारी हल्कों में खसरा, बी-1 की प्रतिलिपि शत-प्रतिशत कम्प्यूटर के माध्यम से दी जा रही है. नक्शों का साफ्टवेयर जिला कार्यालय रायपुर में प्राप्त नहीं होने के कारण नक्शों की प्रतिलिपि कम्प्यूटर के माध्यम से नहीं दी जा रही है. रायपुर तहसील के पटवारियों के द्वारा नक्शों की हस्तलिखित प्रतिलिपियां दी जा रही है. दुर्ग तहसील के 4 नए पटवारी हल्कों को छोड़कर सभी पटवारी हल्कों में नक्शा, खसरा बी-1 की प्रतिलिपि शत-प्रतिशत कम्प्यूटर के माध्यम से दी जा रही है. 4 नए पटवारी हल्कों में नक्शों की हस्तलिखित प्रतिलिपियां दी जा रही है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में थाना भवनों की स्थिति एवं स्वीकृत तथा रिक्त पदों की जानकारी

12. (*क्र. 22) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में कितने पुलिस थाना भवनों का निर्माण हो चुका है तथा कितने भवनों का निर्माण होना शेष है ? (ख) पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु कितने आवासों का निर्माण किया गया है ? (ग) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भवन सहित कुल 02 (थाना बेमेतरा एवं थाना बेरला) थाने हैं. अत: भवन निर्माण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु पूर्व से ही 42 आवासीय भवन उपलब्ध है एवं वर्तमान में 04 आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है. (ग) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी के कुल 92 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 51 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं एवं 41 पद रिक्त हैं. इन रिक्त पदों की पूर्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारी/अधिकारी की प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत एवं पदोन्नति की कार्यवाही होने के पश्चात् की जावेगी.

जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

13. (*क्र. 114) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? विकासखण्डवार, ग्रामवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) क्या संचालित उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वयं का भवन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो भवन विहीन केन्द्र कितने हैं ? नाम सहित बतायें ? (ग) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुविधायुक्त भवन कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 272 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. विकासखण्डवार, ग्रामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में है. (ख) जी नहीं. विधान सभा क्षेत्र जैजेपुर के 192 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं. इनमें से 56 केन्द्रों के लिये आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हो गये हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में दी गई है. (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

विकासखण्ड लोरमी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति

14. (*क्र. 151) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-2007, 2007-2008 एवं 2008-2009 में (दिनांक 15-1-09 तक) विकासखण्ड लोरमी जिला बिलासपुर में शासन द्वारा कौन-कौन से स्थानों पर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (चिकित्सालय) प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) स्वीकृत कितने चिकित्सालयों का भवन निर्माण किया गया है ? कितने चिकित्सालय भवन विहीन हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क)

वर्ष	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
2006-07	1 खुड़िया, 2 लालपुर, 3 राम्हेपुर, 4 सेमरसल, 5 देवरहट, 6 चंदली, 7 खपरी.
2007-08	निरंक
2008-09 (15-01-2009)	निरंक

(ख) एक (लालपुर). 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनविहीन हैं.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

15. (*क्र. 155) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2008-09 में दिनांक 12-01-09 तक कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड कसडोल, विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन एवं विकासखण्ड-पलारी में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? नाम सहित बतावें. (ख) उक्त केन्द्रों में डाक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने कार्यरत हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड कसडोल, विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन एवं विकासखण्ड-पलारी में स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी निम्नानुसार है :—

विधान सभा क्षेत्र	विकासखण्ड	सामु. स्वा. केन्द्र	प्राथ. स्वा. केन्द्र	उप स्वा. केन्द्र
कसडोल	कसडोल	01	05	43
-तदैव-	बलौदाबाजार आर. आई. सर्किल-लवन	01	01	18
-तदैव-	पलारी	01	06	29
	योग	03	12	90

उक्त केन्द्रों की नाम सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) स्वीकृत पद 48, कार्यरत 12. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

दक्षिण बस्तर के गोलापल्ली थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़

16. (*क्र. 82) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 08-01-09 को गोलापल्ली थाना क्षेत्र के सिंगारमगांव में पुलिस मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गये ? कितने के शव बरामद किये गये ? (ख) क्या यह सत्य है कि मुठभेड़ में मारे गये लोगों में ग्रामीण भी शामिल हैं ? यदि हां, तो कितने ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) दिनांक 08-01-09 को गोलापल्ली थाना क्षेत्र के सिंगाराम व बंजलवाही के बीच नाला के पास पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 15 नक्सली/नक्सली संघम सदस्य मारे गये. 04 नक्सलियों का शव उत्खनन कर बरामद किया गया. (ख) जी नहीं.

† परिशिष्ट "सात"

वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के परिपालन संबंधी

17. (*क्र. 147) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण, भारत शासन अधिनियम, 2007 प्रचलित है ? अगर हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) कंडिका "क" के अधिनियम के परिपालन के लिए नियम में वर्णित अधिकरण-भरण पोषण अधिकरण, अपील अधिकरण, भरण-पोषण अधिकारी इत्यादि के पदों को भरा गया है, यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जी हां. दिनांक 26 सितम्बर, 2008 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त किया गया है. (ख) जी हां.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 139) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला रायगढ़ में दिनांक 1-1-2008 से 12-1-2009 तक हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के घटित अपराधों की जानकारी

क्रमांक (1)	थाना (2)	लूट (3)	डकैती (4)	हत्या (5)	बलात्कार (6)
1.	कोतवाली	9	0	10	3
2.	कोतरारोड	1	0	1	1
3.	चक्रधरनगर	4	0	6	3
4.	पुसौर	1	0	1	1
5.	सारंगढ़	0	0	8	3
6.	कोसीर	0	0	2	1
7.	बरमकेला	0	0	4	1
8.	सरिया	0	0	0	2
9.	खरसिया	0	0	9	2
10.	भुपदेवपुर	4	1	2	1
11.	छाल	0	0	5	0
12.	पुंजीपथरा	1	1	2	1
13.	तमनार	0	0	5	2
14.	घरघोड़ा	1	0	7	1
15.	लैलूंगा	1	0	13	1
16.	धरमजयगढ़	5	0	12	4
17.	कापू	0	0	8	0
18.	अजाक	0	0	0	0
	योग	**27**	**2**	**95**	**27**

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम में वर्ष 2008 में दिन-दहाड़े हुई डकैती की घटना में कितने डकैत गिरफ्तार किये गये और कितने शेष हैं, गिरफ्तार डकैतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उक्त संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि - रायगढ़ जिले के सत्तीगुड़ी चौक में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय द्वितीय तल में संचालित है. दिनांक घटना 18-07-2008 को एक्सिस बैंक कर्मचारीगण प्रार्थी रमेश कुमार वर्मा कैशियर, गार्ड अनिल सिंह, कमल गुप्ता एवं सूमो वाहन क्रमांक-सी. जी. डब्ल्यू बी 03-बी-1290 के चालक लाल सिंह के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय रायगढ़ रकम लेने आये थे.

वाहन को बीमा कार्यालय के पीछे खड़ी कर गार्ड कमल गुप्ता के साथ प्रार्थी रमेश कुमार वर्मा पैसा लेने बीमा कार्यालय कक्ष में गये. बीमा कार्यालय से 10,19,834.80 पैसे आहरण कर एक अटैची में रखकर सीढ़ी से नीचे उतरते समय अज्ञात तीन लुटेरों ने गेट के पास मुठभेड़ कर अटैची को लूटने का प्रयास किये तब गार्ड कमल गुप्ता ने उनको रोका तो कट्टा से एक लूटेरा द्वारा गार्ड कमल गुप्ता के जांघ में गोली मार दिया जिससे गार्ड जमीन में गिर गया.

प्रार्थी अटेची लेकर गाड़ी की ओर दौड़कर भागने लगा उसी समय एक लूटेरे द्वारा प्रार्थी के ऊपर फायर कर दिया, जिससे गोली प्रार्थी को न लगकर वाहन चालक लालसिंह को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, उसी समय गार्ड अनिल सिंह ने अपने पास रखे 12 बोर बन्दूक से लूटेरे को फायर किया, जिससे गोली लूटेरे के सीने में लगने से घटना स्थल पर ही फौत हो गया एवं एक अन्य लूटेरे को पैर में गोली लगने से लंगड़ाते हुए भागने में सफल हो गया.

गोली की आवाज सुनकर वहां लोगों की भीड़ हो गयी. भीड़ के लोगों के द्वारा वाहन चालक लालसिंह एवं गार्ड कमल गुप्ता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान चालक लालसिंह की मृत्यु हो गयी.

प्रार्थी नरेश कुमार वर्मा कैशियर एक्सिस बैंक के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक-493/08 धारा 394, 397, 398, 302 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट दिनांक 18-07-2008 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

प्रकरण में कायमी दिनांक 18-07-2008 से लगातार फरार आरोपी की पतासाजी एवं मृतक लूटेरा की पहचान कार्यवाही लगातार किया जा रहा था कि विवेचना एवं पतासाजी के दौरान दिनांक 15-01-09 को मृतक लूटेरा की पहचान उड़ीसा प्रान्त के सिंधीपारा थाना राजगांगपुर में मृतक का फोटो दिखाकर पहचान कराया गया.

अज्ञात लूटेरा मृतक को अजय यादव पिता जगदीश यादव उम्र 24 वर्ष उड़ीसा प्रान्त के सिंधीपारा, थाना राजगांगपुर के रूप में पहचान किया गया. मृतक के कपड़ा एवं फोटो को मृतक के पिता जगदीश यादव सिंधीपारा को दिखाकर पहचान कराया गया जो अपना पुत्र अजय यादव का होना बताया.

उसके साथी 1. पवन साव 2. पेटला उर्फ सोनू उरांव दोनों निवासी उड़ीसा प्रान्त के सिंधीपारा थाना राजगांगपुर का होना बताया गया है जिनका पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु उड़ीसा पुलिस के मदद से संदेहियों के घर में दबिश दिया गया जो घर से फरार होना पाया गया.

उपरोक्त दोनों फरार आरोपियों के संबंध में पुलिस टीम गठित कर उड़ीसा प्रान्त के राउरकेला, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर एवं राजगांगपुर पुलिस टीम भेजकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से पतासाजी किया जा रहा है. प्रकरण में विवेचना जारी है.

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 113) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	क्र.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	क्र.	उप स्वास्थ्य केन्द्र
1.	जैजेपुर	1.	रायपुरा	1.	भोथिया
2.	बम्हनीडीह	2.	हसौद	2.	बेलादुला
		3.	घोघरी	3.	जैजैपुर
		4.	बिर्रा	4.	तुषार
				5.	ओड़ेकेरा
				6.	रोठीकला
				7.	गुजिवाखोर
				8.	हसौद
				9.	चिस्दा
				10.	करही
				11.	चिकरा
				12.	कशगिढ़
				13.	ठठारी
				14.	टूठी
				15.	मलनी
				16.	रायपुरा
				17.	देवरघटा
				18.	मुक्ता
				19.	भोथीडीह
				20.	चिखलरौंदा
				21.	खिर्राडीह
				22.	परसाडीह
				23.	बम्हनीडीह
				24.	भंवरेली
				25.	सेमरिया
				26.	बिर्रा (ब)
				27.	लखुर्री
				28.	करनोद
				29.	पोड़ीशंकर
				30.	लखाली
				31.	बिर्रा
				32.	सिलाडीह (सिलादेही)
				33.	ताल्देवरी
				34.	पुंछेली
				35.	पिहरीद
				36.	बड़े सीपत
				37.	पिरदा
				38.	मरघटी
				39.	मुड़ापार
				40.	छपोरा

प्रपत्र "ब"

क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत स्वास्थ्य संस्था का नाम	संस्था में स्वीकृत पदनाम	संस्था में स्वीकृत पदों की स्थिति स्वीकृत	कार्यरत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जैजैपुर	सामु. स्वा. केन्द्र, जैजैपुर	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	0
			विशेषज्ञ मेडिसिन	1	0
			विशेषज्ञ सर्जरी	1	0
			विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	0
			विशेषज्ञ शिशुरोग	1	0
			पी. जी. एम. ओ. निश्चेतना	1	0
			चिकित्सा अधिकारी	2	4
			नर्सिंग सिस्टर	1	0
			बी. ई. टी. ओ.	1	1
			लेखापाल/सहा. ग्रेड-2	1	1
			संगणक	1	0
			सहा. ग्रेड-3	1	1
			स्टाफ नर्स	3	2
			लेब टेक्नीशियन	1	1
			नेत्र सहा. अधिकारी	1	1
			एल. एच. व्ही.	2	0
			एम. पी. डब्ल्यू. (म.)	1	0
			पर्यवेक्षक (पु.)	1	1
			एन. एम. एस.	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (पु.)	1	0
			फार्मासिस्ट ग्रेड-2	2	1
			रेडियोग्राफर	1	0
			ड्रेसर ग्रेड-1	1	1
			ड्रेसर ग्रेड-2	1	1
			वाहन चालक	2	1
			वार्ड ब्वाय	2	2
			चतुर्थ श्रेणी	2	2
			धोबी	1	1
			ओ. टी. ए.	1	1
			चौकीदार	1	1
			आया	1	1
			स्वीपर	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	बम्हनीडीह	सामु. स्वा. केन्द्र, बम्हनीडीह	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	0
			विशेषज्ञ मेडिसिन	1	0
			विशेषज्ञ सर्जरी	1	0
			विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	0
			विशेषज्ञ शिशुरोग	1	0
			पी. जी. एम. ओ. निश्चेतना	1	0
			चिकित्सा अधिकारी	2	1
			नर्सिंग सिस्टर	1	0
			बी. ई. टी. ओ.	1	0
			लेखापाल/सहा. ग्रेड-2	1	0
			संगणक	1	1
			सहा. ग्रेड-3	1	0
			स्टाफ नर्स	3	2
			लेब टेक्नीशियन	1	1
			नेत्र सहा. अधिकारी	1	0
			एल. एच. व्ही.	2	1
			एम. पी. डब्ल्यू. (म.)	1	0
			पर्यवेक्षक (पु.)	1	0
			एन. एम. एस.	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			फार्मासिस्ट ग्रेड-2	2	1
			रेडियोग्राफर	1	1
			ड्रेसर ग्रेड-1	1	1
			ड्रेसर ग्रेड-2	1	1
			वाहन चालक	2	2
			वार्ड ब्वाय	2	2
			चतुर्थ श्रेणी	2	2
			धोबी	1	1
			ओ. टी. ए.	1	1
			चौकीदार	1	1
			आया	1	1
			स्वीपर	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जैजैपुर	प्राथ. स्वा. केन्द्र, रायपुरा	चिकित्सा अधिकारी	2	1
			फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	1
			लेब टेक्नीशियन	1	0
			ड्रेसर	1	1
			नेत्र सहा. अधिकारी	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू. (म.)	1	0
			स्वीपर	1	1
			आया	1	1
			भृत्य/वार्ड ब्वाय	1	1
2.	जैजैपुर	प्राथ. स्वा. केन्द्र, हसौद	चिकित्सा अधिकारी	1	0
			फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	1
			ड्रेसर	1	1
			स्टाफ नर्स	1	0
			स्वीपर	1	1
			चतुर्थ श्रेणी	1	1
3.	बम्हनीडीह	प्राथ. स्वा. केन्द्र, बिर्रा	चिकित्सा अधिकारी	2	0
			फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	1
			ड्रेसर	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू. (म.)	1	0
			आया/वार्ड ब्वाय	1	1
4.	मालखरौदा	प्राथ. स्वा. केन्द्र, थोपरी	चिकित्सा अधिकारी	2	0
			फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	1
			ड्रेसर	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू. (म.)	1	0
			आया/वार्ड ब्वाय	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जैजैपुर	उप स्वा. केन्द्र, भोथिया	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
2.		उप स्वा. केन्द्र, बेलादुला	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
3.		उप स्वा. केन्द्र, जैजैपुर	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
4.		उप स्वा. केन्द्र, तुषार	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
5.		उप स्वा. केन्द्र, ओड़ेकेरा	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
6.		उप स्वा. केन्द्र, हसेठीकला	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
7.		उप स्वा. केन्द्र, गुजियाबोर	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
8.		उप स्वा. केन्द्र, हसौद	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
9.		उप स्वा. केन्द्र, चिस्दा	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
10.		उप स्वा. केन्द्र, कव्ही	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
11.		उप स्वा. केन्द्र, छिवरा	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
12.		उप स्वा. केन्द्र, काशीगढ़	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
13.		उप स्वा. केन्द्र, ठठारी	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
14.		उप स्वा. केन्द्र, टूटी	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
15.		उप स्वा. केन्द्र, मल्दी	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
16.		उप स्वा. केन्द्र, रायपुरा	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.		उप स्वा. केन्द्र, देवरघटा	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
18.		उप स्वा. केन्द्र, मुक्ता	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
19.		उप स्वा. केन्द्र, भोथीडीह	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
20.		उप स्वा. केन्द्र, चिखलरौंदा	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
21.		उप स्वा. केन्द्र, खिर्राडीह	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
22.		उप स्वा. केन्द्र, परसाडीह	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
23.	बम्हनीडीह	उप स्वा. केन्द्र, बम्हनीडीह	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
24.		उप स्वा. केन्द्र, भंवरेली	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
25.		उप स्वा. केन्द्र, सेमरिया	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
26.		उप स्वा. केन्द्र, बिर्रा ब	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
27.		उप स्वा. केन्द्र, लच्छुरी	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
28.		उप स्वा. केन्द्र, करनौद	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
29.		उप स्वा. केन्द्र, पोंड़ीशंकर	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
30.		उप स्वा. केन्द्र, लखाली	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
31.		उप स्वा. केन्द्र, बिर्रा अ	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
32.		उप स्वा. केन्द्र, सिलादेही	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.		उप स्वा. केन्द्र, ताल्देवरी	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
34.		उप स्वा. केन्द्र, पुछेली	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
35.	मालखरौदा	उप स्वा. केन्द्र, पिहरीद	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
36.		उप स्वा. केन्द्र, बड़े सीपत	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
37.		उप स्वा. केन्द्र, भिरदा	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
38.		उप स्वा. केन्द्र, मरघटी	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1
39.		उप स्वा. केन्द्र, मुड़पार	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	1
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	0
40.		उप स्वा. केन्द्र, छपोरा	एम. पी. डब्ल्यू. (पु.)	1	0
			एम. पी. डब्ल्यू (म.)	1	1

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 150) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जेल का नाम, बंदी क्षमता एवं परिरूद्ध बंदियों की संख्या (दि. 19-01-09 की स्थिति में)

क्रमांक	जेल का नाम	जिला का नाम	बंदी क्षमता	परिरूद्ध बंदियों की संख्या (दि. 19-01-09 की स्थिति में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	केन्द्रीय जेल, रायपुर	जिला-रायपुर	1130	2294
2.	केन्द्रीय जेल, जगदलपुर	जिला-बस्तर	648	1459
3.	केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	जिला-बिलासपुर	628	1963
4.	केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर	जिला-सरगुजा	543	1460
5.	केन्द्रीय जेल, दुर्ग	जिला- दुर्ग	396	1038
6.	जिला जेल, रायगढ़	जिला-रायगढ़	225	235
7.	जिला जेल, राजनांदगांव	जिला-राजनांदगांव	116	172
8.	जिला जेल, कोरबा	जिला-कोरबा	110	172
9.	जिला जेल, बैकुण्ठपुर	जिला-कोरिया	148	150
10.	जिला जेल, जशपुर	जिला-जशपुर	190	257
11.	जिला जेल, कांकेर	जिला-उत्तर बस्तर	65	169
12.	जिला जेल, दन्तेवाड़ा	जिला-दक्षिण बस्तर	250	246
13.	जिला जेल, जांजगीर	जिला-जांजगीर-चांपा	70	171
14.	जिला जेल, धमतरी	जिला-धमतरी	50	152
15.	जिला जेल, महासमुंद	जिला-महासमुंद	70	120
		योग	4639	10058

प्रपत्र "ब"

जेल का नाम, वर्ष 2006-2007, 2007-2008 एवं 2008-2009 में निर्माण कार्यों की जेलवार जानकारी

क्र. (1)	जेल का नाम (2)	वर्ष 2006-2007 (3)	वर्ष 2007-2008 (4)	वर्ष 2008-2009 (5)
1.	केन्द्रीय जेल, जगदलपुर	05 नग बैरक 500 बंदी क्षमता	निरंक	निरंक
2.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	03 नग बैरक एवं 05 डूप्लेक्स बैरक 650 बंदी क्षमता.	निरंक	निरंक
3.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	05 नग बैरक 250 बंदी क्षमता	निरंक	निरंक
	कुल योग	13 नग बैरक एवं 05 डुप्लेक्स बैरक कुल बंदी क्षमता 1400.	निरंक	निरंक

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 154) के भाग (क) की जानकारी]

(विकासखंडवार एवं वर्षवार पोषण आहार मद में व्यय की गई राशि का विवरण)

क्रमांक	विकासखंड का नाम	वर्ष 2006-07 में व्यय राशि	वर्ष 2007-08 में व्यय राशि	वर्ष 2008-09 में दिनांक 12-1-09 तक व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कसडोल	2525847	4619978	5024247
2.	बलौदाबाजार सर्किल लवन	2908651	6317303	5920492
3.	पलारी	4345338	11508733	7004914
	योग	9779836	22446014	17949653

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 75) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-165 (6)

(एक) ऐसे क्षेत्रों में जिसमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हो, तथा ऐसे तारीख से, जिसे/जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट, करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जाएगा और न ही अंतरणीय होगा.

(दो) खंड (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जावेगा और न ही अंतरणीय होगा.

प्रपत्र "ब"

आदिवासियों की जमीन की बिक्री की अनुमति संबंधी जानकारी

सन् 01 जनवरी 2004 से 01 जनवरी 2009 तक

क्रमांक	आदिवासी विक्रेता का नाम	ग्राम	अनुमति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बैसाखू पिता उतरा जाति संवरा	गोपालपुर	30-01-2004
2.	उत्तम साय पिता अमर सिंह जाति गोंड	चिमरकेल	27-07-2004
3.	श्रीमती पूर्णा पिता दुष्टी जाति संवरा	सागरपाली	02-08-2004
4.	दुकालसिंह पिता झगरू जाति बिंझवार	सिनोधा	19-10-2004
5.	पेंदरसिंह पिता चमरू उर्फ नूनकरण जाति गोंड	झालखम्हरिया	25-10-2004
6.	घासीराम पिता छेलिया जाति गोंड	कालीदरहा	07-02-2004
7.	हेमलाल पिता मोतीराम आदिवासी	नौहाकुडा	11-01-2005
8.	रूखमिन बाई पिता श्री लालजी सिदार	खट्टा	21-03-2005
9.	सेवाराम पिता अलाल जाति गोंड	तेन्दुवाही	23-03-2005
10.	सुपेत सिंह पिता प्रेम सिंह जाति कंवर	बरेकेल	19-04-2005
11.	डोलराम पिता रेशमसिंग जाति गोंड	संतपाली	19-04-2005
12.	रघुवर पिता भूतनाथ जाति बिंझवार	लेरेकेला	24-05-2005
13.	जार्ज रावटे पिता टी. आर. रावटे जाति हल्बा	तुमगांव	27-07-2005
14.	राजाराम पिता बालेश्वर जाति संवरा	पैकिन	2-08-2005
15.	तिहारूराम पिता मुड़िया जाति गोंड	बड़ेसाजापाली	21-09-2005
16.	अवधराम पिता प्रेमसिंह जाति कंवर	सरायपाली	14-12-2005
17.	लोचन पिता सुधरन आदिवासी	खुर्शीपहार	28-12-2005
18.	जैनसिंग पिता पखदसिंह जाति गोंड	अरेकेल	28-12-2005
19.	सुस. शांतिबाई पिता शुभराज जाति गोंड	लहरौद	13-03-2006
20.	भीखूसिंह पिता शंभूसिंह जाति गोंड	लहरौद	13-03-2006
21.	साधनी बाई पति भोजसिंग आदिवासी	खपरीडीह	14-02-2006
22.	खोरबाहरा पिता धनसिंग जाति गोंड	मोंगरा	14-03-2006
23.	सम्मतबाई बेवा बिसनाथ आदिवासी	मनबाय	27-02-2006
24.	राधीबाई विधवा उजल जाति कोंध	बेलडीह	27-02-2006
25.	भंवरसिंग पिता सुधरन आदिवासी	खुर्शीपहार	14-03-2006
26.	भूषणसिंह पिता मानसिंह जाति गोंड	खुटेरी	14-03-2006
27.	सुशील कुमार पिता शत्रुघन	बेमचा	31-03-2006
28.	दशरू पिता खड़िया जाति खड़िया	तुसदा	31-03-2006
29.	बिश्राम पिता धनसाय जाति गोंड	जामपाली	07-04-2006
30.	धनवार पिता जगदेव जाति गोंड	गुडरूडीह	29-04-2006
31.	राधेश्याम गोंड	गोंगल	19-06-2006
32.	दशरथ पिता पल्टन गोंड	लभराखुर्द	12-07-2006
33.	खोमन पिता झड़ीराम जाति गोंड	बन्दोरा	30-05-2006
34.	केजूराम पिता शंभूराम जाति कंवर	अमोरा	22-06-2006
35.	टहलू पिता बुधू जाति सिदार	शेर	02-05-2006
36.	आसकरण पिता गिरवर सिदार	शेर	02-05-2006
37.	केजूराम पिता ताराचंद जाति सिदार	शेर	02-05-2006

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	कार्तिकराम पिता टहलू जाति सिदार	शेर	02-05-2006
39.	नन्दूराम पिता तिहारू जाति गोंड़	नयापारा	22-06-2006
40.	सुशीला पति बिसहत जाति गोंड़	साराडीह	02-08-2006
41.	संतोष पिता झगरू जाति कंवर	खट्टा	28-08-2006
42.	ठाकुरराम पिता बृजमोहन कंवर	खट्टा	28-08-2006
43.	रविशंकर पिता झबला जाति गोंड़	खट्टा	28-08-2006
44.	भक्त चरण पिता गोर्वधन जाति बरिहा	किसड़ी	20-09-2006
45.	चन्द्रपाल पिता श्यामसिंह जाति गोंड़	उल्वा	20-09-2006
46.	श्रीमती सरिता ठाकुर पति कमलेश	बरतुंगा	20-09-2006
47.	पंचराम पिता रामचरण	खुसरूपाली	22-11-2005
48.	आनन्दराम पिता पालासिंग जाति सिदार	शेर	07-04-2006
49.	भुनेश्वर पिता संतराम जाति कंवर	मोंहदी	30-08-2006
50.	गिरधारी पिता धनसिंग	डोकरपाली	30-08-2006
51.	दयाराम पिता ठाकुरराम जाति गोंड़	नयापारा	30-08-2006
52.	अपझरी पिता सोनाधर जाति संवरा	खैरमाल	11-09-2006
53.	राम प्रसाद पिता भिखो जाति सांवरा	खैरमाल	11-09-2006
54.	अवधराम पिता प्रेमसिंग जाति कंवर	सरायपाली	11-09-2006
55.	लोचन पिता सुवरन जाति बिंझवार	खुर्रापहार	06-11-2006
56.	भोगसिंह पिता फुलकी जाति गोंड़	सिरबे	06-11-2006
57.	श्रीमती लीलाबाई विधवा नारायण	रायमुड़ा	13-09-2006
58.	देवनारायण पिता लाभोराम	दारगांव	28-08-2006
59.	दशरथ पिता पल्टन	मोंगरा	12-07-2006
60.	कुमार पिता सीताराम जाति गोंड़	जोबा	11-10-2006
61.	बहुरसिंग पिता पनाराम जाति गोंड़	मानपुर	01-10-2006
62.	पुनिराम पिता जुगरू जाति गोंड़	रायमुड़ा	13-09-2006
63.	युगवती पति पीलाराम जाति गोंड़	पोटापारा	20-04-2006
64.	सुखमत बाई विधवा चैतराम	रायमुड़ा	03-09-2006
65.	सोहद्राबाई विधवा अनिरूद्ध जाति गोंड़	रायमुड़ा	13-09-2006
66.	ओमनारायण पिता आशाराम जाति गोंड़	जुनवानी	09-04-2007
67.	अर्जुन	नौगड़ी	23-03-2007
68.	अशोक कुमार	कटंगलाई	25-07-2006
69.	हरखराम	कल्याणपुर	13-03-2007
70.	लक्ष्मणसिंह	बेलसोण्डा	14-03-2007
71.	सुकाल पिता पचकौड़ जाति सिदार	बरतुंगा	07-03-2007
72.	बृजलाल पिता स्व. चैतराम जाति सौंरा	चौंदा	09-02-2007
73.	मोहरसिंग पिता चरणसिंग जाति बिंझवार	कुम्हारीमुड़ा	30-03-2007
74.	अनंदराम	चुरकी	06-03-2007
75.	चमरादास पिता घुनुदास	छिन्दौली	03-04-2007
76.	भगवती पिता नारायण ठाकुर	चौंदा	09-02-2007
77.	लालाराम पिता ठाकुर राम	ठाकुरदियाकला	13-03-2007
78.	मिसराम पिता घांसीराम जाति कंवर	सोनापुटी	13-03-2007
79.	थानसिंग पिता सुकदेव जाति गोंड़	पनकाडीह	18-10-2007
80.	भागवत पिता घांसीराम जाति गोंड़	चकमा	30-10-2007
81.	समारी पिता भुस्का	हर्राटार	19-02-2008
82.	जमुनाबाई जाति गोंड़	पलेयपाली	24-07-2008

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 24) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सूखा प्रभावित तहसीलों का नाम

क्रमांक	जिले का नाम	तहसील का का नाम	सूखाग्रस्त ग्रामों की संख्या	सूखाग्रस्त ग्रामों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	सिमगा	45	35 %
		कसडोल	55	25%
2.	दुर्ग	साजा	150	79 %
		बेमेतरा	81	42 %
		नवागढ़	90	48 %
		बेरला	70	51 %
		बालोद	121	58 %
		पाटन	65	41 %
		धमधा	155	90 %

प्रपत्र " ब "

जिला दुर्ग के लोहारा तहसील के सूखाग्रस्त 33 तहसीलों का नाम

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	क्रमांक (3)	ग्राम का नाम (4)
1.	अरजुनी	18.	दल्ली
2.	खैरकट्टा	19.	भर्रीटोला
3.	दुर्गीटोला	20.	मंगनुवा
4.	पुनारकसा	21.	कुम्हेरोला
5.	बंजारी	22.	करेगांव
6.	भीमपुरी	23.	करनूटोला
7.	अन्नकूटोला	24.	कुडमुड़ा
8.	चिल्मगोटा	25.	मरसकोला
9.	टुण्डाकुण्डेल	26.	कमकरबार
10.	नंगूटोला	27.	टेकापार
11.	भीमाटोला	28.	कुमडीकसा
12.	रेंगाडबरी	29.	कुणगोंदी
13.	कुदारी	30.	पिड़ियाल
14.	बर्राडीह	31.	लमती
15.	बंजारीडीह	32.	हितापठार
16.	कुन्नापानी	33.	मासुलगोंदी
17.	डुमरटोला		

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 155) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप-स्वास्थ्य केन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कसडोल	कसडोल	कटगी	मोहतरा
2.			बरपाली	असनींद
3.			राजादेवरी	बिलारी
4.			सोनाखान	सेल
5.			थारनवापारा	सर्वा
6.				देहरीकला
7.				मल्दा
8.				छरछेद
9.				कटगी
10.				अमोदी
11.				गिरौद
12.				दुन्दा
13.				झबड़ी
14.				गिधौरी
15.				हसुवा
16.				मटिया
17.				राजादेवरी
18.				छाता
19.				बया.
20.				सोनाखान
21.				नवागांव
22.				रिकोकला
23.				धरगांव
24.				सोनपुर
25.				थार
26.				बोरसी
27.				खान
28.				चरोदा
29.				अर्जुनी
30.				पुटपुरा
31.				कोसमसरा
32.				अर्जुनी महराजी
33.				कुम्हारी
34.				रामपुर
35.				नरधा
36.				देवपुर
37.				छेछर
38.				बाफरा
39.				आमाखोहा
40.				सुकली
41.				चांदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.				भानपुर
43.				नया खर्वे
44.	बलौदाबाजार (आर. आई. सर्किल-लवन)	लवन	लाहौद	डोंगरीडीह
45.				सिंघारी
46.				हरदी
47.				खैंदा
48.				धाराशिव
49.				मरदा
50.				कोयदा
51.				सरखोर
52.				अहिल्दा
53.				मुन्डा
54.				खैंदा
55.				लाहौद
56.				कोहरौंस
57.				सुंदेली
58.				उमरू
59.				ताराशिव
60.				बनगांव
61.				बिटकुली
62.	पलारी	पलारी	कोसमंदी	अमेरा
63.			रोहासी	कुसमी
64.			लच्छनपुर	गिर्रा
65.			गिधपुरी	सलोनी
66.			ओड़ान	छेरकापुर
67.			जर्वे	लच्छनपुर
68.				केनारी
69.				सोनार (देउरी)
70.				खरतोरा
71.				जारा
72.				खैरा (दतान)
73.				ससहा
74.				जरवे
75.				रोहासी
76.				दलरेंगी
77.				बलौदी
78.				बटगन
79.				दतान
80.				देवसुंद्रा
81.				गुमा
82.				कुकरूंगपुर
83.				गाताभार
84.				सेहा
85.				सिसदेवरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
86.				भवानीपुर
87.				तेलासी
88.				गिधपुरी
89.				हाँसभट्ठा
90.				एरगाडीह